प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में थाना टूण्डला पुलिस टीम ने 08 वर्षीय बच्चे रोहित का अपहरण करने वाले मुख्य अपहरणकर्ता को किया गिरफ्तार।

- **10 लाख रूपये की फिरौती के लिये किया था बच्चे का अपहरण।**
- **मुख्य अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी के साथ-साथ फिरौती पत्र भी बरामद।**
- **अपहरणकर्ताओं द्वारा रोहित बच्चे को 70 फीट गहरे सूखे कुएँ में फेंक दिया था।**

दिनांक 08-02-2021 को श्री विजयपाल पुत्र मेवाराम निवासी चुल्हावली द्वारा अपने 08 वर्षीय पुत्र रोहित के लापता होंने की सूचना थाना टूण्डला पर दी जिसमें तत्काल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 65/21 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री अजय कुमार द्वारा बच्चे को सकुशल खोजने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी टूण्डला के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया। साथ ही सोशल मीडिया सेल टीम द्वारा बच्चे का विवरण विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में किया गया जिसके क्रम में पुलिस टीम के अथक मेहनत के फलस्वरूप दिनांक 10-02-2021 को बच्चा बनकट मोड़ के पास एक 70 फीट गहरे सूखे कुएं में मिला जिसको आरक्षी चालक शिवकुमार गौतम द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए 70 फीट गहरे कूएँ में रस्सी के सहारे उतरकर 08 वर्षीय बच्चे रोहित को सकुशल बाहर निकाला एवं तत्काल ही बच्चे को उपचार हेतु हॉस्पीटल में भर्ती कराया गया।

गहनता से जाँच करते हुए थाना टूण्डला पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 11-02-2021 को मुख्य अपहरणकर्ता सूरज उर्फ प्रीतम पुत्र स्व0 राजेश कुमार निवासी चुल्हावली थाना टूण्डला को रैस्ट कैम्प रेलवे के पास से सुबह 4.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सूरज उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि बच्चे का अपहरण 10 लाख रूपये की फिरौती के लिये किया गया था साथ ही मुख्य अपहरणकर्ता द्वारा भेजा गया फिरौती पक्ष भी बरामद किया गया है। अभियुक्त सूरज का अन्य साथी श्यामवीर पुत्र रामदास निवासी चूल्हावली की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। बरामदगी अपह्त रोहित उर्फ बाबू व बालक की हत्या के प्रयास व फिरौती माँगने के कारण मु0अ0सं0 65/21 में धारा 364ए,307,323 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त सूरज को जेल भेजा जा रहा है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री अजय कुमार द्वारा 20 हजार रू0 का नकद पुरूष्कार दिया गया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1-सूरज उर्फ प्रीतम पुत्र स्व0 राजेश कुमार निवासी चुल्हावली थाना टूण्डला फिरोजाबाद।

फरार अभियुक्त-

1-श्यामवीर पुत्र रामदास नि0 चुल्हावली थाना टूण्डला फिरोजाबाद।

आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 65/2021 धारा 363/ 364-ए/307/323 भादवि ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-प्र0नि0 रामेन्द्र कुमार शुक्ला थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।

2-उ0नि0 आनन्द सिंह थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।

3-है0का0 84 गंगीराम मीणा थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।

4-का0 392 अर्जुन सिंह थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।

5-का0 1026 कुलदीप सिंह थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।

6-का0 चालक शिव कुमार गौतम क्यूआरटी थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री अजय कुमार द्वारा 20 हजार रू0 का नकद पुरूष्कार दिया गया है।